कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

दूरभाष क. 07824—222129, फैक्स क. 07824—222029
E-Mail bemetara.cg@gov.in

।। आदेश ।।

क्रमांक / 775 / अ.जि.द / कोरोना—19 / 2020 बेमेतरा दिनांक 01 / 06 / 2020

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40—3 / 2020 DM-1(A) आदेश दिनांक 30.05.2020 के माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड—19) संक्रमण नियंत्रण हेतु लॉकडाउन उपायों को चरणवद्ध रूप से खोलने एवं 30.06.2020 तक लॉकडाउन संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में जारी दिशा—निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में बेमेतरा जिले के लिए निम्नानुसार दिशा—निर्देश सर्व साधारण की जानकारी हेतु जारी करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी दुकानें / संस्थायें / प्रतिष्ठान / सेवाओं को जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय व छ.ग. शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, उनके संचालक की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदाय की जाती हैः—

1. दुकानों / संस्थायें / प्रतिष्ठान / सेवाओं को भारत सरकार व राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड—19) के रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. दुकानों / संस्थायें / प्रतिष्ठान / सेवाओं का संचालन **सप्ताह के छः दिन (रविवार बंद) प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होगा।** दुकान परिसर के बाहर पर्याप्त मात्रा में पानी व हैण्ड सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
3. अनुमति प्राप्त ढाबों इत्यादि में ग्राहकों को सामाग्री Take Away व आनलाईन डिलीवरी के सिद्धांत पर दी जावेगी तथा परिसर में स्वच्छता रखना अनिवार्य होगा।
4. अंतर—जिला टैक्सी / ऑटो / ई—रिक्शा / निजी वाहनों के परिचालन व आवागमन हेतु आनलाईन ई—पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन ई—पास के बिना अंतर—जिला परिचालन की अनुमति नहीं होगी। यात्रा के दौरान मास्क का उपयोग व सोशल—डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह महत्वपूर्ण होगा कि जितनी सीट की क्षमता है उससे अधिक सवारी का परिवहन नहीं किया जावेगा। उल्लंघन की दशा में परमिट निरस्त किया जा सकेगा।
5. सड़क किनारे सामान बेचने वालों (फेरी वालों) के लिए स्थानीय निकायों द्वारा नियत स्थान और समय का निर्धारण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा 02 ठेलो के मध्य 20 फीट की दूरी अनिवार्य रूप से रखी जावे।
6. Non-Vending Zone में किसी तरह व्यापार—व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी।
7. विवाह संबंधी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी, जो संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी।
8. अंत्येष्ठि / अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी, जो संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी।
9. समस्त प्रतिष्ठानों / ओद्यौगिक संस्थानों / व्यवसायिक संस्थाओं एवं कार्यालयों में थर्मल स्केनर / मास्क की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। कार्यालय परिसर व सभी स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक होगा।
10. दुकानों में एक बार में अधिकतम 05 ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये प्रवेश दिया जा सकेगा।
11. रात्रि 09:00 बजे से सुबह 05:00 का समय कर्फ्यू का होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन नहीं होगा। **परंतु कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से व गैर—जरूरी कार्य हेतु सायं 07:00 बजे के पश्चात घर से बाहर नहीं निकलेगा।**
12. 10 साल से कम उम्र के बच्चें, गर्भवती महिलाओं एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति मात्र मेडिकल ईमरजेंसी कारणों से ही घर से बाहर निकल सकेंगे।
13. सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा व शराब का सेवन नहीं किया जा सकेगा।
14. व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय बस परिवहन के बार में पूर्व में जारी प्रतिबंध जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई—पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा, यही प्रक्रिया अंतर—जिला परिवहन के बारे में भी लागू होगी।

क्रमश.....02....

Scanned with CamScanner

15. समस्त स्पोटर्स काम्पलेक्स, स्टेडियम व सार्वजनिक पार्क 07 जून तक बंद रहेगी।
16. राज्य के भीतर व अंतर्राज्यीय बस सेवा परिवहन विभाग द्वारा पृथक से जारी आदेश के अनुरूप संचालित होंगे।
17. क्लब, बार संचालन के बारे में वाणिज्यकर (आबकारी विभाग) पृथक से आदेश करेगा।

उक्त किसी भी कंडिका का उल्लंघन होने पर दुकान/प्रतिष्ठान/संस्थान/सेवाओं के विरूद्ध कार्यवाही किया जाकर सील की जा सकेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

1/6/20

(शिव अनंत तायल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

क्रमांक/ 775 /अ.जि.द./कोरोना–19/2020 बेमेतरा,दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
6. वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग (कैम्प कार्यालय बेमेतरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अपर जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा को सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी .... जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी(पुलिस) बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. तहसीलदार सर्व .... जिला बेमेतरा को सूचनार्थ। कोटवारों के माध्यम से मुनादी भी करायें।
12. सर्व थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी, बेमेतरा को सूचनार्थ।
13. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बेमेतरा एवं समस्त नगर पंचायत, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सहायक संचालक, जन सम्पर्क विभाग, जिला बेमेतरा को प्रेस रिलीस जारी कर, समस्त दैनिक समाचार पत्रों, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में निःशुल्क प्रसारित हेतु।
16. कार्यालयीन गार्ड फाईल हेतु।

1/6/20

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

Scanned with CamScanner